



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण 1943 (श10)
(सं0 पटना 640) पटना, मंगलवार, 27 जुलाई 2021

बिहार विधान सभा सचिवालय

vf/klpuk
27 जुलाई 2021

सं० वि०सं०वि०-22/2021-2465/वि०सं० ।— “आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक 27 जुलाई, 2021 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
भूदेव राय,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०-16/2021]

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य सम्यक् संचालन हेतु आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के कतिपय विद्यमान प्रावधानों में संशोधन एवं कतिपय नये प्रावधानों का समावेशन किया जाना आवश्यक है।

भारत-गणराज्य के बहतरवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1- *lf{klr uke] foLrkj ,o ikjEHkA&*

(1) यह अधिनियम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2- *fcgkj vf/kfu;e 24] 2008 dh iLrkouk e: l'kk/ku A&* बिहार अधिनियम 24, 2008 की प्रस्तावना निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-

राज्य में व्यवसायिक शिक्षा की प्रचलित एवं नवीन विधाओं में शिक्षण की उत्कृष्टता, शोध की सम्प्राप्ति एवं अभिवर्द्धन तथा राज्य सरकार अथवा ट्रस्ट अथवा सोसायटी के द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी, खगोल विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन, नदी अध्ययन, अर्थशास्त्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार, भौगोलिक अध्ययन, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, कला एवं संस्कृति, दर्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, पुरातत्व एवं संरक्षकीय अध्ययन एवं अन्य विधाओं के क्षेत्र में स्थापित संस्थानों के संचालन एवं मान्यता प्रदान करने के निमित्त एक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं समावेशन करने के लिए ;

भारत गणराज्य के उनसठवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

3- *fcgkj vf/kfu;e 24] 2008 dh /kkjk 2 e: l'kk/ku* ।- बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 2 की उपधारा 27, 28 एवं 36 को प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा नई उपधारा 37 निम्नवत् जोड़ा जायेगा :-

(27) "व्यावसायिक शिक्षा" से अभिप्रेत है, ऐसे कार्य से संबंधित शिक्षा जो नौकरी पाने से जुड़ी हो जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी, खगोल विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन, नदी अध्ययन, अर्थशास्त्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार, भौगोलिक अध्ययन, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, कला एवं संस्कृति, दर्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, पुरातत्व एवं संरक्षकीय अध्ययन एवं अन्य विधाओं में विशेष प्रशिक्षण अथवा कौशल की आवश्यकता हो,

(28) "मान्यता प्राप्त शिक्षक" से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में अनुदेश देने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किए गये हैं,

(36) "विश्वविद्यालय शिक्षक" से अभिप्रेत है, प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक,

(37). "विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, किसी विभाग का प्रमुख।

4- *fcgkj vf/kfu;e 24] 2008 dh /kkjk 4 e: l'kk/ku* ।- बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 4 में एक नई उप धारा (6) निम्नरूपेण जोड़ा जाएगा :-

(6) बिहार सरकार द्वारा किसी विशेष पेशेवर क्षेत्र के लिए नये विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात राज्य सरकार अथवा ट्रस्ट अथवा सोसाईटी द्वारा स्थापित एवं वर्तमान में अस्तित्व में संस्थाएँ नये विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जाएगी तथा नये अधिनियम के प्रावधानों से शासित होंगी।

5- *fcgkj vf/kfu;e 24] 2008 dh /kkjk 10 e: l'kk/ku* ।- बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 10 की उप धारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं उप धारा (3) के द्वितीय परन्तुक को विलोपित किया जाएगा :-

(1) कुलपति उच्चतम स्तर की क्षमता, निष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता रखने वाले व्यक्ति होंगे। इस अधिनियम की धारा-2 की उपधारा (27) के विषयों के अनुरूप वे ख्याति प्राप्त विद्वान होंगे जिन्हें विश्वविद्यालय प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हों अथवा परिभाषा के अनुरूप जिनके पास किसी प्रतिष्ठित शोध या अकादमिक प्रशासकीय संगठन में न्यूनतम 10 वर्षों का अकादमिक नेतृत्व प्रदर्शन का प्रमाण हो।

(2) उप धारा (3) का दूसरा परन्तुक विलोपित।

6- *fcgkj vf/kfu;e 24] 2008 dh /kkjk 18 e: l'kk/ku* ।- बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 18 की उपधारा (2) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(2) सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार आवश्यक रूप से होगी। कार्यकारिणी परिषद द्वारा अध्यक्ष के परामर्श पर सभा की बैठक की तिथि एवं समय निर्धारित की जाएगी।

7- *fcgkj vf/kfu;e 24] 2008 dh /kkjk 28 e: l'kk/ku A&* बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 28 की उप धारा (3) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, उपधारा (4) को विलोपित किया जाएगा एवं इसमें एक नयी उपधारा (5) निम्नवत् जोड़ा जाएगा :-

- (3) कोई नया परिनियम या परिनियम में खण्ड जोड़ा जाना अथवा उसमें कोई संशोधन या निरसन में राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरांत कुलाधिपति की सहमति अपेक्षित होगी, जो उस पर सहमति दे सकेंगे या सहमति रोक सकेंगे या उसपर पुनर्विचार के लिए कार्यकारिणी परिषद् को वापस कर सकेंगे;

परन्तु राज्य सरकार उसे कार्यकारिणी परिषद् को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकेगा।

- (4) विलोपित

- (5) राज्य सरकार वर्तमान परिनियम में कोई निरसन अथवा संशोधन अथवा उसमें जोड़े जाने के लिए एवं नये परिनियम के गठन के लिए कार्यकारिणी परिषद् को प्रस्ताव कर सकेगी।

8- fcgkj vf/kfu;e 24] 2008 dh /kkjk 31 e l:'kk/ku A& बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा 31 के वर्तमान प्रावधान को उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित करते हुए इस धारा में एक नई उपधारा (2) निम्नवत् जोड़ा जाएगा :-

- (2) (क) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक पद राज्य सरकार की सहमति से सृजित किया जाएगा।

- (ख) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन निर्मित परिनियम, नियम और विनियम के प्रावधानों के विपरीत की गई नियुक्ति अथवा प्रोन्नति अमान्य होगी एवं उसको किसी भी समय निरस्त किया जाएगा। इस प्रकार की अनियमित नियुक्ति अथवा प्रोन्नति में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए व्यय को इस प्रकार के अनियमित नियुक्ति अथवा प्रोन्नति करने वाले पदाधिकारी से पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914 के प्रावधानों के अधीन वसूली की जाएगी।

9- 0;kofr A& इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् बिहार अधिनियम 24, 2008 की प्रस्तावना, धारा 2, धारा 4, धारा 10, धारा 18, धारा 28 एवं धारा 31 में किए गए संशोधनों तथा धारा 10 की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक एवं धारा 28 की उपधारा (4) के विलोपन के बावजूद पूर्व में की गई कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किया गया कार्रवाई समझा जाएगा, मानो यह अधिनियम उस तिथि एवं उस कार्रवाई को करने के समय प्रवृत्त था।

mnn'; ,o gr

राज्य सरकार द्वारा राज्य के अभियंत्रण तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए अलग-अलग विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तथा इस विश्वविद्यालय के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सम्यक् संचालन हेतु आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) के प्रस्तावना सहित कतिपय प्रावधानों में संशोधन तथा विलोपन आवश्यक प्रतीत होता है।

इस निमित्त आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008) की प्रस्तावना, धारा 2, धारा 4, धारा 10, धारा 18, धारा 28 एवं धारा 31 में कतिपय संशोधन तथा धारा 10 की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक एवं धारा 28 की उपधारा (4) का विलोपन इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है।

विजय कुमार चौधरी,
भारसाधक सदस्य।

पटना
दिनांक-27.07.2021

भूदेव राय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 640-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>